राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

कमांकः प. 3(54) शिक्षा–4/2002 पार्ट जयपुर, दिनांकः 24.7.2017

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
3. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर ।
4. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
5. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
7. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।
9. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
10. कुलसचिव, प.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
11. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुलसचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
13. कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा।
14. कुलसचिव, जगद्‌गुरूरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

विषयः–विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2017–18 के संबंध में।

सदर्भः–लिंगदोह समिति सिफारिश जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया एवं विभाग द्वारा जारी किये गये आवश्यक निर्देश दिनांक 25.06.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर जारी निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ पदाधिकारियों के चुनाव हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. छात्रसंघ के सभी चुनाव लिंगदोह समिति की अनुशंषाओ के आधार पर होंगे एवं समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि लिंगदोह समिति की अनुशंषाओं की अक्षरशः पालना की जाये।
2. चुनाव लडने वाले समस्त उम्मीदवार अपना कैम्प विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के परिसर में ही प्रशासन की अनुमति से स्थापित करेंगे।

Scanned by CamScanner

3. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय परिसर के बाहर चुनाव प्रचार एवं चुनाव संबंधी सभी प्रकार की गतिविधियाँ (लिंगदोह समिति की अनुशंषा के अनुसार) प्रतिबंधित रहेंगी।
4. निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पादित करवाने के लिए विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW) एवं मुख्य चुनाव अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
5. छात्रसंघ के चारों पदों यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा सचिव, संयुक्त सचिव पर प्रत्यक्ष (सीधे) चुनाव होंगे।
6. चुनाव लडने के लिए योग्यता निम्नानुसार होगी:-

क्र. सं.	पद	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
1.	अध्यक्ष एवं महासचिव	स्नातकोत्तर कक्षाओं में अथवा चतुर्वर्षीय / पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के चतुर्थ वर्ष / पंचम वर्ष में अध्ययनरत छात्र	स्नातक तृतीय वर्ष में अथवा उपरी कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र
2.	अन्य पद (उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव)	स्नातक द्वितीय वर्ष में अथवा उपरी कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र	स्नातक द्वितीय वर्ष में अथवा उपरी कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र

7. प्रथम वर्ष के छात्र केवल कक्षा प्रतिनिधि के लिए चुनाव लडेंगे अन्य पदों के लिए नहीं किन्तु त्रिवर्षीय विधि स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र किसी भी पद के लिए चुनाव लड सकेंगे।
8. विश्वविद्यालय में अपेक्स छात्र संघ एवं संघटक महाविद्यालयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में केवल कक्षा प्रतिनिधि पद के लिए चुनाव होगा तथा विभागों के अध्यक्ष पद एवं अन्य पदों के लिए चुनाव नहीं होगा। शैक्षणिक विभागों में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा मनोनयन के माध्यम से ही छात्र संघ का गठन किया जाएगा।
9. समस्त विश्वविद्यालयों में एम.फिल, पीएच.डी. आदि के लिए शोध कर रहे विद्यार्थी केवल शोध प्रतिनिधि के पद का ही चुनाव लड़ सकेंगे और इसी के लिए मतदान कर सकेंगे।

Scanned by CamScanner

10. सभी पदों के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु 25 वर्ष रहेगी। केवल स्नातकोत्तर विधि कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए एवं शोध छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी।
11. सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन एवं छात्रसंघ यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव तिथि से एक माह की अवधि में अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन की सहमति से छात्रसंघ का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाये तथा एक ही कार्यक्रम आयोजित किया जाये।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान,राजभवन जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री,राज.जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक मा.मंत्री, उच्च शिक्षा,राज.जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च, तकनीकी एव संस्कृत शिक्षा,राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शिक्षा,राज.जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ,चिकित्सा शिक्षा,राज.जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद शिक्षा,राज.जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम नियोजन एवं उद्यमिता विभाग।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
13. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, ब्लॉक–6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
14. समस्त कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
15. समस्त कुलसचिव, मानद विश्वविद्यालय, राजस्थान।
16. प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

24/7

अनुभागाधिकारी, उच्च शिक्षा

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांकः प. 7(4)छात्रसंघ चुनाव/अकाद/आकाशि/2017/465 दिनांक 24 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालयों को भेजकर लेख हैं कि महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2017–18 लिंगदोह समिति के आधार उक्तानुसार करवाये जायेंगे।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राज0, जयपुर को उनके पत्रांक प. 3(54)शिक्षा–4/2002पार्ट दिनांक 24.07.2017 के कम में।
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय।

(डॉ. बन्दना चक्रवर्ती)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)